STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH
HIGH COURT CAMPUS, JABALPUR – 482001

OFF:0761-2678877
Email bar_council_mp@yahoo.in
Website: www.sbcofmp.org.in

WWW.LIVELAW.IN

एस.बी.सी./एम.पी./अधीक्षक/ 363/2020 दिनांक 04.05.2020

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव
समस्त जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघ
मध्यप्रदेश

महोदय,

वर्तमान समय में कोरोना वायरस की महामारी के चलते विगत अनेक दिनो से लॉकडाउन के कारण समस्त न्यायालयो में न्यायालीन कार्य लगभग बंद के समान है, इस अप्रत्यशित कठिन समय में जरूरतमंद अधिवक्ताओं की मदद के लिये सभी अधिवक्ता संघो ने अपने-अपने स्तर पर व्यापक प्रयास किये है जो वर्तमान में भी जारी है जिसके लिये बार कौंसिल की विशेष समिति सभी अधिवक्ता संघो के प्रयासो की सराहना करती है।

चूंकि वर्तमान में प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों मे अधिवक्ता बंधुओ को आर्थिक मदद की कोई योजना अस्तित्व में नही थी इसलिये बार कौंसिल की विशेष समिति के द्वारा **मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता (प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों) योजना, 2020** निर्मित की गई एवं न्यासी समिति की स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई।

न्यासी समिति के द्वारा स्वीकृत योजना का मध्यप्रदेश के राजपत्र में दिनांक 04 मई 2020 को प्रकाशन हो गया है जिसकी प्रति संलग्न है। सभी मान्यता प्राप्त अधिवक्ता संघो से अनुरोध है कि वे योजना में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर, संलग्न प्रोफार्मा मे जरूरतमंद अधिवक्ताओं से आवेदन प्राप्त कर , परीक्षण उपरान्त अनुशंसा सहित प्रेषित करे जिससे आर्थिक सहायता बावत् आगामी कार्यवाही की जा सके।

संबंधित अधिवक्ता संघ योजना के अंतर्गत उस अधिवक्ता संघ के लिये निर्धारित संख्या तक ही अनुशंसाये प्रेषित करे। हालाकि प्रथम चरण मे अनुशंसित अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद प्राप्त होने के उपरान्त आगे की आवश्यकता के बारे मे पृथक से विचार किया जासकेगा जिसका प्रावधान योजना के चरण क्रमांक-3 में है।

विशेष समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित

भवदीय,

प्रशान्त दुबे
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

WWW.LIVELAW.IN

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161] भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 मई 2020—वैशाख 14, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 मई 2020

फा. कमांक 7175–2081–क/21/ब(दो) 2020 अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद द्वारा न्यासी समिति द्वारा मध्यप्रदेश अधिवक्ता परिषद् के परामर्श से तैयार की गई मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता (प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थितियां) योजना, 2020 को दिनांक 4–5–2020 को प्रकाशित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

WWW.LIVELAW.IN

मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता (प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थितियॉ) योजना, 2020

अधिसूचना

वर्तमान समय में कोविड–19 (कोरोना) वायरस के तेजी से फैलने से सम्पूर्ण विश्व में मानव समाज को उन अप्रत्याशित गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जन सामान्य का जीवन गंभीर खतरे में है और इससे अधिवक्तागण भी अछूते नहीं है। ऐसा महसूस किया गया कि ऐसी विषम परिस्थितियों में उनको अपनी दैनिक जीवन को चलाने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। अतः उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा न्यासी परिषद् एतद द्वारा, मध्यप्रदेश अधिवक्ता परिषद् के परामर्श से बनाई गई योजना को प्रकाशित करती है, अर्थात्:

योजना

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ,–**

(1) इस योजना का संक्षिप्त नाम " **मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता (प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थितियॉ) योजना, 2020** है।

(2) इसका विस्तार मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् द्वारा नामांकित अधिवक्ताओं को लागू होगा।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करे।

2. **परिभाषाएं,**– इस योजना में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

WWW.LIVELAW.IN

(क) "बार कौंसिल" से अभिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन गठित बार कौंसिल ऑफ मध्यप्रदेश;

(ख) "प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थितियॉं" से अभिप्रेत है केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा घोषित संकटापन्न परिस्थितियॉं;

(ग) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 9 सन् 1982) ;

(घ) "फंड" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गठित फंड।

3. पात्र अधिवक्ताओं को उक्त आर्थिक सहायता फण्ड से की जावेगी, जिसके लिए अधिकतम सीमा दो करोड़ रूपये तक हो राकेगी जिसे अधिवक्ता परिषद की अनुशंसा पर न्यासी समिति उक्त सीमा को बढ़ाने पर विचार कर सकेगी। यह राशि अधिवक्ता कल्याण स्कीम ए 1989 के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय परिसर, जबलपुर में एफ. डी. आर. के माध्यम से विनियोजित की गई राशि 24,77,78,858/– से विकलनीय होगी।

4. **योजना के तहत राशि प्रदान किये जाने की प्रकिया–**

(1) योजना में वे ही अधिवक्ता सहायता के पात्र होंगे जिनका नाम राज्य अधिवक्ता परिषद की वर्तमान निर्वाचन सूची में दर्शित हो रहा हो, और वे आवेदन पत्र की अन्य शर्तो को पूरा करते हों ।

(2) पात्र अधिवक्ता को किसी परिस्थिति विशेष में वह राशि देय होगी जिसे अधिवक्ता परिषद् की सलाह पर न्यासी समिति समय–समय पर निर्धारित करेगी। इस संबंध में न्यासी समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु किसी पात्र अधिवक्ता को किसी परिस्थिति विशेष में अधिकतम राशि रूपये 5000/– (रूपये पांच हजार) मात्र देय होगी।

(3) योजना का लाभ लेने के लिए अधिवक्ता को निर्धारित प्रारूप में संबंधित अधिवक्ता संघ को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन पर अधिवक्ता संघ इस योजना के साथ संलग्न 3 अनुसार कर सकेगा।

WWW.LIVELAW.IN

(4) इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष की संयुक्त अनुशंसा पर ही परिषद द्वारा विचार के लिए भेजे जाएंगे।

(5) जिन अधिवक्ता संघों में व्यवसायरत् अधिवक्ताओं की संख्या 25 से कम है, वे उन स्थानों से सम्बद्ध रहेंगे, जहॉ वर्तमान चुनाव में उन्होंने मतदान किया हैं। किसी व्यावहारिक कठिनाई में राज्य अधिवक्ता परिषद पृथक से निर्देश भी दे सकती है।

(6) किसी भी अधिवक्ता संघ की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्धारित संख्या में प्राप्त आवेदकों की अनुशंसा करने के पूर्व समस्त आवेदनों पर गहन विचारण एवं आवश्यक समाधान करे :

परन्तु किसी एक अधिवक्ता परिवार के मात्र एक ही अधिवक्ता को सहायता की अनुशंसा की जानी चाहिए भले ही आवेदक अधिवक्ता के परिवार में एक से अधिक व्यक्ति अधिवक्ता व्यवसाय गें रत हों।

(7) किसी भी अधिवक्ता को इस फंड से दोबारा सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने पर संबंधित अधिवक्ता को व्यवसायिक कदाचरण का दोषी माना जावेगा।

नोट–इस योजना में जहॉ मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का उल्लेख किया गया है, उसमें वर्तमान में बार कौंसिल का कार्य प्रभार देख रही विशेष समिति मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद भी शामिल है एवं उसके द्वारा दिए गए निर्णय मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा दिए गए निर्णय के रूप में वैधानिक रूप से मान्य होंगे।

WWW.LIVELAW.IN

संलग्न–1

प्रोफार्मा आवेदन पत्र

(प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों में मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता के लिए)

प्रति,

मान्नीय अध्यक्ष विशेष समिति राज्य अधिवक्ता परिषद /
मान्नीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद
उच्च न्यायालय परिसर, जबलपुर (म.प्र)

विषयः प्राकृतिक आपदा एवं विषम परिस्थितियों में आर्थिक सहायक प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पत्र ।

10. अधिवक्ता का व्यवसाय स्थल – .....

11. अधिवक्ता का नामांकन कमांक एवं वर्ष – .....

12. अधिवक्ता का पूरा नाम – .....

नोट–सनद / पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न करें ।

13. अधिवक्ता का निवास का पता/मोबाईल– .....

.....

अधिवक्ता का बैंक खाता नंबर – .....

बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड – .....

नोट–खाता पासबुक के प्रथम और अंतिम पृष्ट की छायाप्रति संलग्न करें ।

14. बैंक का नाम एवं पता फोननंबर – .....

15. क्या अधिवक्ता आयकर दाता है? – .....

नोट– जानकारी लिखें एवं पैन कार्ड संलग्न करें ।

16. आवेदक के परिवार की जानकारी एवं उनका व्यवसाय – .....

WWW.LIVELAW.IN

17. क्या आवेदक एवं उसके परिवार के अन्य अधिवक्ता सदस्य ने योजना के अंतर्गत कोई आर्थिक सहायता पूर्व में प्राप्त की है? विवरण : .....

.....

18. मैं इस आवेदन पत्र के साथ मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद से यह अनुरोध करता हूँ, कि कोविड–19 (कोरोना) वायरस के फैलने के कारण लॉकडाउन होने से मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, अतः मुझे पारिवारिक भरण–पोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का अनुरोध है।

सत्यापन

मैं ..... उपरोक्त वर्णित अधिवक्ता .....

आज दिनांक ..... को स्थान .....में एतद् सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में वर्णित जानकारी क्र. 1 से 10 तक मेरे स्वयं के ज्ञान से सत्य व सही है।

स्थान
दिनांक :

हस्ताक्षर

अधिवक्ता का नाम : .....

WWW.LIVELAW.IN

संलग्न–2

जिला/तहसील अधिवक्ता संघ ..... जिला .....

जिला / तहसील अधिवक्ता संघ की अनुशंसा समिति द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र का अवलोकन करते हुए गहन जॉच उपरांत इसे अनुशंसित कर मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर आवश्यक विचार एवं निर्णय हेतु अग्रेषित किया जाता है।

स्थान :

दिनांकः

हस्ताक्षर अध्यक्ष .....
अध्यक्ष का नाम .....

मोबाईल : .....

कार्यालय सील : .....

हस्ताक्षर अनुशंसा समिति सदस्य--

3. प्रथम सदस्य के हस्ताक्षर .....

   नाम एवं मोबाईल नंबर .....

4. द्वितीय सदस्य के हस्ताक्षर .....

   नाम एवं मोबाईल नंबर .....

WWW.LIVELAW.IN

संलग्न–3

नोट– पात्र अधिवक्ताओं की गणना–

(1) ऐसे अधिवक्ता संघ जहां अधिवक्ताओं की संख्या संलग्न सारणी के अनुसार 100 अथवा उससे कम है वहां पात्रता उक्त संख्या के **10 प्रतिशत** होगी।

(2) ऐसे अधिवक्ता संघ जहॉ अधिवक्ताओं की संख्या 100 से अधिक है वहॉ पात्रता **10+100 से अधिक का 5 प्रतिशत** होगी।

(3) गणना करने में यदि संख्या अंशों में आती है अंश को बढ़ाकर पूर्ण किया जायेगा।

उदाहरण– गणना करने पर संख्या 6.4 अथवा 7.9 आती है तो ऐसी दशा में गणना के लिए 6.4 को 7 एवं 7.9 को 8 किया जावेगा। किन्तु यदि संख्या पूर्णांक में हो तो उसमें कोई भी जोड–घटाना नहीं होगा।

(4) ऐसे अधिवक्ता संघ जिनमें अधिवक्ताओं की संख्या 100 तक है एवं ऐसे अधिवक्ता संघ जिनमें अधिवक्ताओं की संख्या 100 से अधिक किन्तु 1000 या उससे कम है तथा ऐसे अधिवक्ता संघ जिनमें अधिवक्ताओं की संख्या 1000 से अधिक है वे क्रमशः एक, दो एवं तीन अतिरिक्त अधिवक्ताओं (उपरोक्त कंडिका (1) व (2) को छोडकर) का नाम जिसके संबंध में वह यह उचित समझते हैं कि वह पात्र तो है किन्तु उपरोक्त अनुसार सूची में सम्मिलित नहीं है तो उनका नाम राज्य अधिवक्ता परिषद् को अनुशंसित कर सकेगें।

(6) इस योजना में अधिवक्ताओं की पात्रता के संबंध में संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(7) उक्त योजना के कियान्वयन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण राज्य अधिवक्ता परिषद् द्वारा किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

WWW.LIVELAW.IN

A-1

अधिवक्ता संघ जिनमें 25 से अधिक एवं अधिकतम 100 तक अधिवक्ता सदस्य

Sr	District	City	Total Advocate
1	CHHATARPUR	BADAMALEHRA	25
2	AGARMALWA	SUSNER	37
3	ALIRAJPUR	JOBAT	44
4	BALAGHAT	KATANGI	26
5	BETUL	AMLA	36
6	BETUL	BHAINSDEHI	49
7	CHHINDWARA	CHOURAI	50
8	CHHINDWARA	PANDHURNA	40
9	DAMOH	PATHARIA	39
10	DHAR	DHARAMPURI	46
11	DINDORI	SHAHPURA	31
12	GUNA	ARON	43
13	GUNA	CHANCHODA	48
14	GWALIOR	BHITARWAR	34
15	HOSHANGABAD	BABAI	30
16	INDORE	SAWER	45
17	JHABUA	PETLAWAD	40
18	JHABUA	THANDLA	38
19	KATNI	BARHI	33
20	KHARGONE(W. NIWAR)	BADWAHA	44
21	KHARGONE(W. NIWAR)	BHIKANGAON	43
22	KHARGONE(W. NIWAR)	KASRAWAD	40
23	KHARGONE(W. NIWAR)	MAHESHWAR	29
24	KHARGONE(W. NIWAR)	SANAWAD	49
25	MANDLA	NAINPUR	38
26	MANDLA	NIWAS	30
27	MANDSAUR	BHANPURA	48
28	MANDSAUR	NARAYANGARH	39
29	MORENA	PORSA	26
30	NARSINGHPUR	GOTEGAON	32
31	PANNA	AJAYGARH	36
32	PANNA	GUNOUR	30
33	RAISEN	UDAIPURA	42

WWW.LIVELAW.IN

34	RAJGARH	ZIRAPUR	36
35	REWA	RAIPURKARCHULIYAN	35
36	SAGAR	GARHAKOTA	43
37	SAGAR	SHAHGARH	35
38	SATNA	RAMNAGAR	37
39	SATNA	UNCHEHARA	31
40	SEHORE	BUDHNI	47
41	SHAHDOL	SOHAGPUR-SHAHDOL	34
42	SHAJAPUR	KALAPIPAL	33
43	SHEOPUR	VIJAYPUR	28
44	SHIVPURI	KHANIYADHANA	27
45	SHIVPURI	POHARI	31
46	VIDISHA	LATERI	37
47	ALIRAJPUR	ALIRAJPUR	52
48	ANOOPPUR	RAJENDRAGRAM	96
49	ASHOK-NAGAR	CHANDERI	52
50	BADWANI	SENDHWA	58
51	BALAGHAT	BAIHAR	73
52	BHIND	MEHGAON	89
53	CHHATARPUR	BIJAWAR	77
54	CHHATARPUR	RAJNAGAR	52
55	CHHINDWARA	AMARWADA	90
56	CHHINDWARA	SAUSAR	92
57	DATIA	BHANDER	82
58	DATIA	SEONDHA	94
59	DEWAS	BAGLI	89
60	DEWAS	KANNOD	78
61	DEWAS	KHATEGAON	69
62	DEWAS	SONKATCH	99
63	DHAR	BADNAWAR	56
64	DHAR	KUKSHI	83
65	DHAR	SARDARPUR	63
66	GUNA	RAGHOGARH	64
67	HARDA	TIMARNI	53
68	INDORE	DEPALPUR	65
69	JABALPUR	PATAN	94

WWW.LIVELAW.IN

70	KATNI	VIJAYRAGHAVGARH	52
71	KHANDWA (EAST NIWAR)	HARSUD	54
72	MANDLESHWAR	MANDLESHWAR	58
73	MANDSAUR	GAROTH	69
74	MANDSAUR	SITAMAU	63
75	MORENA	JOURA	95
76	NEEMUCH	JAWAD	90
77	PANNA	PAWAI	78
78	RAISEN	BEGUMGANJ	98
79	RAISEN	GOHARGANJ	69
80	RAJGARH	RAJGARH	98
81	RAJGARH	BIAORA	97
82	RAJGARH	KHILCHIPUR	51
83	RATLAM	ALOTE	65
84	REWA	HANUMANA	51
85	REWA	MANGAWAN	71
86	SAGAR	BANDA	67
87	SAGAR	REHLI	79
88	SEHORE	NASRULLAGANJ	83
89	SHIVPURI	KOLARAS	73
90	SHIVPURI	PICHHORE	83
91	SIDHI	MAJHAULI	100
92	SIDHI	RAMPUR NAIKIN	51
93	TIKAMGARH	JATARA	90
94	UJJAIN	KHACHROUD	68
95	UJJAIN	MAHIDPUR	91
96	UJJAIN	TARANA	86
97	UMARIA	MANPUR	67
98	UMARIA	PALI	65
99	VIDISHA	KURWAI	53
100	VIDISHA	SIRONJ	73
		Total	5722

WWW.LIVELAW.IN

अधिवक्ता संख्या जिनमें 100 से अधिक एवं अधिकतम 500 तक अधिवक्ता संख्या

Sr.	District	City	Total Advocates
1	AGAR-MALWA	AGARMALWA	133
2	ANOOPPUR	ANOOPPUR	327
3	ANOOPPUR	KOTMA	305
4	ASHOK-NAGAR	ASHOK-NAGAR	230
5	ASHOK-NAGAR	MUNGAOLI	115
6	BADWANI	BADWANI	118
7	BALAGHAT	BALAGHAT	364
8	BALAGHAT	WARASEONI	171
9	BETUL	MULTAI	185
10	BHIND	BHIND	452
11	BHIND	GOHAD	136
12	BHIND	LAHAR	214
13	BHOPAL	BERASIA	106
14	BURHANPUR	BURHANPUR	344
15	CHHATARPUR	LAUNDI	153
16	CHHATARPUR	NAWGAON	135
17	CHHINDWARA	JUNNARDEO	117
18	CHHINDWARA	PARASIA	170
19	DAMOH	HATTA	121
20	DATIA	DATIA	335
21	DHAR	DHAR	381
22	DHAR	MANAWAR	104
23	DINDORI	DINDORI	126
24	GUNA	GUNA	439
25	GWALIOR	DABRA	242
26	HARDA	HARDA	348
27	HOSHANGABAD	HOSHANGABAD	437
28	HOSHANGABAD	ITARSI	324
29	HOSHANGABAD	PIPARIYA	186
30	HOSHANGABAD	SEONIMALWA	113
31	HOSHANGABAD	SOHAGPUR (HOSHAI	105
32	INDORE	MHOW	263
33	JABALPUR	SIHORA	205

WWW.LIVELAW.IN

34	JHABUA	JHABUA	149
35	KHANDWA (EAST NIWAR)	KHANDWA	405
36	KHARGONE(W. NIWAR)	KHARGONE	234
37	MANDLA	MANDLA	325
38	MANDSAUR	MANDSAUR	483
39	MORENA	AMBAH	131
40	MORENA	SABALGARH	104
41	NARSINGHPUR	NARSINGHPUR	297
42	NARSINGHPUR	GADARWARA	165
43	NEEMUCH	NEEMUCH	250
44	NEEMUCH	MANASA	128
45	PANNA	PANNA	333
46	RAISEN	RAISEN	203
47	RAISEN	BARELI	111
48	RAJGARH	NARSINGHGARH	123
49	RAJGARH	SARANGPUR	104
50	RATLAM	JAORA	168
51	REWA	SIRMOUR	182
52	REWA	TEONTHER	281
53	SAGAR	BINA	179
54	SAGAR	DEORI	105
55	SAGAR	KHURAI	155
56	SATNA	AMARPATAN	242
57	SATNA	MAIHAR	226
58	SATNA	NAGOD	159
59	SATNA	RAMPURBAGHELAN	144
60	SEHORE	SEHORE	263
61	SEHORE	ASHTA	145
62	SEONI	SEONI	471
63	SEONI	LAKHNADONE	139
64	SHAHDOL	BEOHARI	168
65	SHAHDOL	BURHAR	259
66	SHAHDOL	JAISINGHNAGAR	105
67	SHAJAPUR	SHAJAPUR	267
68	SHAJAPUR	SHUJALPUR	222
69	SHEOPUR	SHEOPURKALAN	202

WWW.LIVELAW.IN

70	SHIVPURI	SHIVPURI	378
71	SHIVPURI	KARERA	114
72	SIDHI	CHURHAT	127
73	SINGRAULI	DEOSAR	183
74	TIKAMGARH	TIKAMGARH	394
75	TIKAMGARH	NIWARI	115
76	UJJAIN	BADNAGAR	118
77	UJJAIN	NAGDA	125
78	UMARIA	UMARIA	314
79	VIDISHA	VIDISHA	437
80	VIDISHA	GANJBASODA	246
		Total	17682

A-3

अधिवक्ता संघ जिनमें 500 से अधिक एवं अधिकतम 1000 तक अधिवक्ता सदस्य

Sr.	District	City	Total Advocats
1	BETUL	BETUL	519
2	CHHATARPUR	CHHATARPUR	720
3	CHHINDWARA	CHHINDWARA	766
4	DAMOH	DAMOH	534
5	DEWAS	DEWAS	522
6	KATNI	KATNI	720
7	MORENA	MORENA	649
8	RATLAM	RATLAM	636
9	REWA	MAUGANJ	517
10	SHAHDOL	SHAHDOL	601
11	SIDHI	SIDHI	874
12	SINGRAULI	WAIDHAN	546
		Total	7604

WWW.LIVELAW.IN

अधिवक्ता संघ जिनमें 1000 से अधिक अधिवक्ता सदस्य

Sr	District	City	Total Advocates
1	BHOPAL	BHOPAL	4020
2	GWALIOR	GWALIOR	3694
3	INDORE	INDORE	4897
4	JABALPUR	JABALPUR	5710
5	REWA	REWA	2658
6	SAGAR	SAGAR	1396
7	SATNA	SATNA	1469
8	UJJAIN	UJJAIN	1615
		Total	25459

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.